

कार्यालय:- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/गुण. व प्रशि. अनु./गुण0प्र0/आईसीटी/

दिनांक:- 03.05.2023

संभागीय संयुक्त निदेशक,
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी

विषय- आईसीटी प्रथम चरण की अनुपयोगी घोषित सामग्री के निस्तारण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिन विद्यालयों में आईसीटी फैंज प्रथम के अन्तर्गत कम्प्यूटर लैब स्थापित हुई थी तथा अब समयावधि के कारण लैब के उपकरणों की उपयोगिता प्रभावित हुई है, ऐसे आईसीटी फैंज प्रथम के तहत स्थापित लैब के उपकरणों का वित्तीय लैब के उपकरणों का वित्तीय लेखा नियमों के तहत निरीक्षण करवा कर अनुपयोगी घोषित कराने तथा निस्तारित कराने हेतु समग्र शिक्षा के परियोजना कार्यालय से समन्वय कराकर निस्तारण करावें।

Rajasthan Education Department



भवदीय,

[Signature]
(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महादया, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
6. मैनेजर गुरु नानक भवन संस्थान, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

[Signature]
स्टाफ ऑफिसर
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।